

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-16 अगस्त, 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मा० पशुधन मंत्री जी के विवेकाधीन कोष अनुदान मद से आर्थिक सहायता/अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-2082/बजट/29(5)/30/16/2018-19, दिनांक-03.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार ₹०-0.20 लाख (रुपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	नाम	पता	प्रयोजन जिस हेतु आर्थिक सहायता दी गई है	आवंटित धनराशि (रुपये में)
1	श्रीमती राजवती पत्नी स्व० पप्पू प्रजापति	ग्राम-रामगढ़ (उम्मेरगढ़), ब्लॉक-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद	बकरी क्रय हेतु	10000.00
2.	श्रीमती मीना पत्नी स्व० शोभा राम	ग्राम-ओखरा, ब्लॉक-नारखी, जनपद-फिरोजाबाद	बकरी क्रय हेतु	10000.00
योग-				20000.00

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पु०सं०-85/2018/1466(1)/सैंतीस-2-2018- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित लाभार्थी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।